क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27-5-19	प्रार्थना-पत्र तहसीलदार चाकसू के 176 में अंकित पत्र क्रमांक रा.का./1906 दि. 15-2-19 के द्वारा ग्राम रवेजड़ी कुर्द के खाता सं. 223 जमाबन्दी सं. 2072-75 में हिस्से गलत दर्ज होने पर हिस्से सही दर्ज करने का पेश होने पर दर्ज रिकार्ड किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जमाबन्दी सम्वत 2037 में खाता सं. 94 के अनुसार ख.नं. 1089 रकबा 0.05 किस्म [illegible] रवेजड़ी कुर्द के रामनारायण पुत्र रामकिशोर हि. 1/12, सीताराम नारायण पि. गोविन्दनारायण हि. 1/8 1/8, कैलाश शंकर पि. गोविन्दनारायण जो स्वयं नाबालिग [illegible] गोविन्दनारायण सांवरमल श्रीनारायण पुत्र चन्दा हि. 1/6 दर.हि. 1/2 रामसहाय पुत्र गोरधा हि. 1/4, श्रीनारायण पुत्र चन्दा हि. 1/6 दर. हि. 1/2 रामसहाय पुत्र गोरधा हि. 1/4 श्रीनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/4 दर्ज है वर्तमान जमाबन्दी सं. 2072-75 में खाता सं. 223 में कजोड़ पुत्र श्रीनारायण हि. 1/24, कैलाश कन्हैया पुत्रान पि. गोविन्दनारायण हि. 1/24 मालिक खा. के वर्तमान ख.नं. 1474 व 1475 कुल 2 रकबा 0.06 है [illegible] अंकित है/ जो प्र. [illegible] जाता का अवलोकन [illegible] तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा अनुसार कम्प्यूटर खाता शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं	उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:01 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अत: प्रा.पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम खेजड़ी बुजुर्ग की जमाबन्दी 2072-75 के खाता सं. 223 किता 9 रकबा ... है में काशीराम पुत्र श्रीनारायण का हिस्सा 1/24 के स्थान पर हि. 1/12 व मैडार कन्हैयालाल पि. गोविन्दनारायण का हि. 1/24 के स्थान पर 1/12 शुद्ध किया जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:01 IST
Reason: SelfAttested